भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **2110**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 2021/19 अग्रहायण, 1943 (शक) को दिया जाना है।

शहरी कम्पोस्ट

2110. श्री जी. एम. सिद्देश्वर:
श्रीमती पूनमबेन माडम:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): क्या शहरी कम्पोस्ट को बढ़ावा देने की नीति के अंतर्गत, उर्वरक कंपनियों ने शहरी कम्पोस्ट के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सैकड़ों गांवों को गोद लिया है और यदि हां, तो ऐसे सभी गांवों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख): ऐसे सभी गांवों, विशेषकर कर्नाटक में गांवों का ब्यौरा क्या है, जहां उक्त उर्वरक कंपनियां सीधे किसानों को शहरी कम्पोस्ट का विक्रय कर रही हैं;

(ग): क्या सरकार की अपशिष्ट की बड़ी मात्रा को उपयोगी जैविक उर्वरकों में परिवर्तित कर उसमें कमी लाने के लिए कोई योजना चल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ): शहरी कम्पोस्ट योजना के अंतर्गत गुजरात सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्थिति और प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ङ.): क्या सरकार का गुजरात सहित देश में शहरी कम्पोस्ट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उर्वरक कंपनियों द्वारा गोद लिए गए गांवों की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(च): यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री
(डा. मनसुख मांडविया)

(क): शहरी कम्पोस्ट के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए उर्वरक विपणन कम्पनियों ने देश भर में 498 गांवों को गोद लिया है। विपणन कम्पनियों द्वारा गोद लिए गए गांवों की राज्य-वार संख्या **अनुलग्नक-I** पर है।

(ख): इस प्रकार का कोई डाटा नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ) (i): शहरी ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) को आर्गेनिक उर्वरक में परिवर्तित करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के तहत स्वच्छ भारत मिशन-शहरी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) संयंत्रों को स्थापित करने हेतु केन्द्र के हिस्से की निधि प्रदान करता है।

(ii): उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ), 1985 में 10 आर्गेनिक उर्वरकों नामत: शहरी कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट, फास्फेट समृद्ध आर्गेनिक खाद, बायो-समृद्ध आर्गेनिक खाद, आर्गेनिक खाद, किण्वित आर्गेनिक खाद (ठोस), किण्वित आर्गेनिक खाद (तरल), बोन मील कच्चा और बोन मील वाष्प और रोडोफाइट्स से निकाले गये पोटाश की विशिष्टताओं को अधिसूचित किया गया है। इन उर्वरकों में से कुछ में उपयोग किया गया कच्चा माल आर्गेनिक अपशिष्ट के विभिन्न प्रकार हैं।

(iii): सरकार ने शहरी कम्पोस्ट के संवर्धन की नीति अनुमोदित की थी जिसे उर्वरक विभाग द्वारा दिनांक **10.02.2016** को अधिसूचित किया गया था जिसमें शहरी अपशिष्ट से बनाए गए शहरी कम्पोस्ट के उत्पादन और खपत को बढ़ाने के लिए 1500/- रुपए एम.टी. की बाजार विकास सहायता (एमडीए) प्रदान की गई थी। तथापि, एमडीए नीति की समीक्षा और व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की दिनांक 2 अगस्त, 2021 को हुई इसकी बैठक में की गयी सिफारिशों के आधार पर शहरी कम्पोस्ट के उत्पादन और खपत को बढ़ाने संबंधी बाजार विकास सहायता (एमडीए) स्कीम को 30 सितम्बर, 2021 के बाद बन्द कर दिया गया है।

(iv): आईएफएमएस पोर्टल के अनुसार वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में अक्तूबर, 2021 तक के लिए शहरी कम्पोस्ट का उत्पादन निम्नानुसार है:-

क्रम.सं.	**वर्ष**	**शहरी कम्पोस्ट का उत्पादन एमटी में**
1.	2019-20	327790.58
2.	2020-21	269110.46
3.	2021-22	194385.14 (अक्तूबर, 2021 तक)

(V): वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में अक्तूबर, 2021 तक के लिए उर्वरक विपणन कम्पनियों द्वारा गुजरात सहित राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार पीओएस बिक्री तथा कम्पोस्ट विपणनकर्ताओं द्वारा शहरी कम्पोस्ट की थोक में बिक्री **अनुलग्नक-II** पर है।

(ड.): ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च): उपरोक्त (ड.): के मदेद्नजर प्रश्न नहीं उठता।

******

अनुलग्नक-I

शहरी कम्पोस्ट के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु उर्वरक कम्पनियों द्वारा गोद लिए गए गांवों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या

क्रम.सं	**राज्य का नाम**	**गांवों की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	21
2	असम	13
3	बिहार	5
4	छत्तीसगढ़	5
5	गोवा	4
6	गुजरात	56
7	हरियाणा	14
8	हिमाचल प्रदेश	1
9	जम्मू और कश्मीर	1
10	झारखंड	1
11	कर्नाटक	35
12	केरल	10
13	मध्य प्रदेश	15
14	महाराष्ट्र	55
15	उड़ीसा	10
16	पुदुचेरी	1
17	पंजाब	12
18	राजस्थान	48
19	तमिलनाडु	42
20	तेलंगाना	23
21	उत्तर प्रदेश	102
22	उत्तराखंड	2
23	पश्चिम बंगाल	22
कुल		**498**

अनुलग्नक-II

शहरी कम्पोस्ट की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार बिक्री

(एमटी में)

क्रम.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22 (अक्तूबर 2021 तक)
1	आंध्र प्रदेश	9660	12790	10430
2	असम	10	590	500
3	छत्तीसगढ	860	1460	2270
4	दिल्ली	200	70	80
5	गुजरात	32850	28670	19030
6	हरियाणा	5660	5370	6490
7	झारखंड	5410	11700	12070
8	कर्नाटक	24600	31250	25930
9	केरल	7260	3880	4270
10	मध्य प्रदेश	4390	7320	9610
11	महाराष्ट्र	30190	38620	34510
12	उड़ीसा	960	1480	2880
13	पुदुचेरी	690	440	320
14	पंजाब	8480	9560	11850
15	राजस्थान	12210	13420	12890
16	तमिलनाडु	11560	12180	12580
17	तेलंगाना	6760	11700	9920
18	उत्तराखंड	190	300	330
19	उत्तर प्रदेश	26400	40310	21630
20	पश्चिम बंगाल	18420	21180	22880
21	कुल थोक बिक्री	120515.64	100391.39	79579.26
	कुल	**327275.64**	**352681.39**	**300049.26**

****